**संख्या- 101 /2021 / 506 /चार-2021-43 (बजट)/ 2017**

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

**संस्कृति अनुभाग:** **लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2021**

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र, गोरखपुर के निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि रू0 454.90 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया उप निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर के पत्र संख्या-508/ रा0बौ0सं0गो0(प्रेक्षागृह)/2020-2021 दिनांक 03 मार्च, 2021का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- गोरखपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या- पत्र संख्या-148 /2020 / 1536 /चार-2020-43 (बजट)/ 2017 दिनांक 20 नवम्बर, 2020 द्वारा रू0 5278.84 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में गोरखपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेक्षागृह एवं सास्कृतिक केन्द्र के निर्माण हेतु रू0 454.90 लाख (रूपये चार करोड़ चौवन लाख नब्बे हजार मात्र) की संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं उपयोग नियमानुसार किया जायेगा और धनराशि आहरित कर नियमानुसार कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाएगी।

5- प्रशासकीय विभाग समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

6- बचत की धनराशि प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

7- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।

8- प्रशासकीय विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

9- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में प्राविधानित धनराशि के व्यय/बचत के संबंध में प्रशासकीय विभाग सुनिश्चित हो लेंगे।

10- प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी।

11- प्रशासकीय विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

12- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा । वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

14- प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे की प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है ।

15- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

16- प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020, 18 मई, 2020 एवं शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

18- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय- 04-कला तथा संस्कृति 800-अन्य व्यय -52-तुलसी स्मारक भवन अयोध्या का सुदृढ़ीकरण - 24-वृहद निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बचतों को संक्रमित कर 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय- 04-कला तथा संस्कृति -800- अन्य व्यय-36-गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

19- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव

संख्या- 101 /2021 / 506 (1) /चार-2021-43 (बजट)/ 2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
3- अपर परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोरखपुर इकई-3, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- उप निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर (नोडल आफिसर- संस्कृति)।
7- इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोरखपुर इकई-3, गोरखपुर।
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

फार्म-बी0एम0-09(भाग-1)

पुनर्विनियोग स्वीकृति के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

अनुदान संख्या व नाम- 92- संस्कृति विभाग वित्तीय वर्ष 2020-21 प्रपत्र बी0एम0-09(भाग-1)

(धनराशि लाख में)

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक आयोजनेत्तर | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4202- शिक्षा , खेलकूद , कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-<br>04-कला तथा संस्कृति<br>800-अन्य व्यय<br>52-तुलसी स्मारक भवन अयोध्या का सुदृढ़ीकरण -<br>24-वृहद निर्माण कार्य | 1000.00 | 1000.00 | 454.90 | 454.90 | 545.10 |
| योग | 1000.00 | 1000.00 | 454.90 | 454.90 | 545.10 |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक आयोजनागत | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात अनुदान/ विनियोग (8*11) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4202- शिक्षा , खेलकूद , कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय<br>04-कला तथा संस्कृति<br>800-अन्य व्यय-<br>36-गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण-<br>24-वृहद निर्माण कार्य | 500.00 | 954.90 | 454.90 | 454.90 | 954.90 |
| योग | 500.00 | 954.90 | 454.90 | 454.90 | 954.90 |

(1) स्तम्भ में उपलब्ध बचत का कारण नियमानुसार- मिव्ययियता एवं आवश्यकतानुसार व्यय के उपरान्त बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ -8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- वास्तविक आंकलन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की मॉग की जा रही है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पर हेतु पुनर्विनियोग को स्वीकृत करने में बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उपलंघन नहीं होता है।

संख्या- **आर-ई- 730 /ई-7- /दस-19**
दिनांक **31 मार्च, 2021**

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद।

(शिशिर)
विशेष सचिव।
संस्कृति विभाग

(राजेन्द्र राम)
अनु सचिव।
वित्त विभाग

संख्या- 101 /2021 / 506 (1) /चार-2021-43 (बजट)/ 2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
3- अपर परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोरखपुर इकई-3, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- उप निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर (नोडल आफिसर- संस्कृति)।
7- इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोरखपुर इकई-3, गोरखपुर।
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।